Annexure-o
अनुबन्ध– द

ICDS in Himachal Pradesh
A Flagship programme
Shairing Pattern:- 90:10(Centre-State)

	Operationalisation of ICDS Projects and AWCs/Mini AWCs		Vacancy position of AWWs /AWhsand Mini AWWs		
	Sanctioned	Operational		Sanctioned	Filled up
No. of ICDS Projects	78	78	AWW	18386	18255
No of AWcs/Mini AWCs	18286	18385	AWH	18386	18158
No. of Mini AWCs	539	531	Mini AWW	539	510
No of AWcs and Mini AWCs	18925	18916			
No of SNP Beneficiaries and PSE Beneficiaries					
	SNP	Children		440429	
		Mothers		102272	
		Adolescent Girls		35230	
	PSE	Children (3-6 years)		136278	

1. वर्तमान में प्रदेश में 78 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 18921 केन्द्र (18385 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 536 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र) संचालित किए जा रहे हैं। इन केन्दों के माध्यम से बच्चें व गर्भवती व धात्री माताएं योजना के लाभ से लाभान्वित हो रही है।

2. प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका होती है तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र में केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही होती है, जो कि आंगनवाड़ी केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले लाभान्वित क्षेत्र से सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत चयनित की जाती है। चयन हेतु मापदण्ड निम्नानुसार हैः–

(ए) महिला प्रार्थी उसी आंगनवाड़ी केन्द्र के गांव या आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा लाभान्वित गांव/क्षेत्र की स्थाई निवासी होनी चाहिए जहां के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुआ है व शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड से सम्बन्धित महिला प्रार्थी जहां आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

(बी) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 या उसके समकक्ष व सहायिका के लिए 8 वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (यदि आंगनवाड़ी क्षेत्र के फीडर एरिया में आठवीं पास प्रार्थी उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में शैक्षणिक योग्यता आठवीं के स्थान पर पांचवी पास होगी)। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है।

(सी)आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(डी) प्रार्थी/प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय मु0 20,000/– रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रमाण–पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए।

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतू निम्न चयन समिति गठित है

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतू निम्न चयन समिति गठित हैः–

1. उपमण्डलाधिकारी (ना0) अध्यक्ष
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी (सम्बन्धित परियोजना) सदस्य
3. तहसील कल्याण अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना सदस्य

अधिकारी/सांख्यिक सहायक

(जहां सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी उपलब्ध न हो)

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिनांक 1.4.2014 से निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगाः–

क्र. सं.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय			राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय
1	2	3	4(2+3)	5	6(4+5)
	केन्द्रीय हिस्सा 90%	राज्य हिस्सा 10%	कुल		
1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	मु 2700/–	मु0300/–	मु03000/–	मु0 450/–	मु0 3450/–
2.सहायिका	मु01350/–	मु0150/–	मु01500/–	मु0300/–	मु0 1800/–
3.मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	मु02050/–	मु0225/–	मु02250/–	मु0375/–	मु0 2625/–

3. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्दों में **आई.सी.डी.एस मिशन मोड** के अन्तर्गत प्री स्कूल किट के क्रय हेतु दरें मु0 1000/– रूपये के स्थान पर मु0 3000/– रूपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र व मु0 500/–रूपये के स्थान पर मु0 1500/– रूपये प्रति मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हेतू वर्ष 2014–15 से लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त औषधि किट की दरें मु0 600 रू0 के स्थान पर मु0 1000/– रूपये प्रति आंगनवाड़ी केन्दों हेतु व मु0 300/– रूपये के स्थान पर 500/–रूपये मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हेतू वर्ष 2014–15 से लागू कर दी गई है। प्री–स्कूल किट में बच्चों के समग्र विकास हेतु खेल सामग्री व लेखन सामग्री उपलब्ध करवाई हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रो में सामान्य बीमारियों के उपचार हेतू औषधि किट उपलब्ध करवाई जाती है। **पूर्वशाला शिक्षा सामग्री किट व मेडीसिन किट** हेतू क्रय की जाने वाली सामग्री हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सीमित शिमला–9 द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करने उपरान्त उनके माध्यम क्रय की जाती है

पूर्वशाला शिक्षा सामग्री व दवाईयों के चयन हेतू क्रय/चयन समितियां गठित की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

<u>प्री स्कूल सामग्री के क्रय/चयन हेतू गठित समिति</u>

1) संयुक्त निदेशक(महिला एवं बाल विकास)	अध्यक्ष
2) सहायक नियन्त्रक (एफ एण्ड ए)महिला एवं बाल विकास	सदस्य
3) जिला कार्यक्रम अधिकारी, शिमला	सदस्य
4) प्रतिनिधि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5) प्रतिनिधि राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन	सदस्य
6) प्रतिनिधि मिशन डायरेक्टर (एस0एस0ए0)लालपानी	सदस्य

7) प्रतिनिधि निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हि0 प्र0 सदस्य

8) प्रधानाचार्य, समस्त आंगनवाड़ी ट्रेनिग सेन्टर सदस्य

9) प्रोजेक्ट अधिकारी,मुख्यालय सदस्य सचिव

<u>दवाईयों के क्रय/चयन हेतू गठित समिति</u>

1) संयुक्त निदेशक (महिला एवं बाल विकास) अध्यक्ष

2) प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित

3) प्रतिनिधि, निदेशक, स्वास्थ्य सदस्य

4) प्रतिनिधि, मिशन निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) सदस्य

5) प्रतिनिधि, निदेशक, आयूर्वेदा सदस्य

6) प्रतिनिधि, निदेशक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें सदस्य

7) सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), निदेशालय महिला एवं बाल विकास

8) प्रतिनिध, राज्य औषध नियन्त्रक सदस्य
(स्वास्थ्य सुरक्षा एवं निनियमन)

9) कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय) सदस्य

6. <u>आंगनवाड़ी हेतू किराये की दरें</u>

वर्तमान मे आई0सी0डी0एस0 मिशन मोड के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतू निजी भवनों में किराये के लिए गये भवनों का किराया ग्रामीण व जन जातीय परियोजनाओं में 200/– रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 750/–रु0 प्रति माह तथा शहरी परियोजनाओं में 750/–रूपये प्रति माह के स्थान पर 3000/–रु0 प्रति माह दिये जाने का प्रावधान है।

7. <u>आंगनवाड़ी केन्दों में पीने के पानी व शौचालय की सुविधा</u>

आंगनवाड़ी केन्द्र में नल से पानी की सुविधा 16261 आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध है अन्य केन्द्रों हेतू अन्य स्त्रोतों से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्र में अन्दर शौचालय की सुविधा 17657 आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध है।

8. <u>आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वर्दी/ Matellic name badge</u>

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को 200/–रु तक की प्रति वर्दी (uniform) उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया है जिसके दृष्टिगत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को वर्ष 2011–12 में एक–एक वर्दी हेतू राशि उपलब्ध करवाई गई थी तथा वर्ष 2012–13 से दो–दो वर्दी हेतू राशि उपलब्ध करवाई जा रही हे। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को Dark Purple रंग व सहायिका को ब्राऊन रंग की वर्दी (uniform) के रंग का चयन किया गया है तथा कार्यकर्ता व सहायिका को चयनित रंगों के आधार पर स्वंय बर्दी क्रय करने हेतु 400/– की दर से प्रत्येक कार्यकर्ता व सहायिका को राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि वर्ष 2014–15 से मु 300/–रु0 प्रति आंगनवाडी/मिनि आगंनवाडी प्रति वर्दी कर दी गई है।

9- <u>आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को Matellic name badge</u>

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को 25/- रूपये की राशि का Matellic name badge उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2013-14 में Matellic name badge उपलब्ध करवाने हेतू जिला स्तर पर राशि उपलब्ध करवाई गई है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम एक मुख्य धटक है। पूरक पोषाहार माताओं एवं बच्चों के लिये प्रतिदिन की वांछित आहार मात्रा व वास्जव में जो उन्हें अपने सामान्य आहार से उपलब्ध हो जाता है, के बीच में रहने वाले अन्तराल को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2014-15 की प्रथम चौमाही में निम्न पोषाहार लाभार्थियों को निम्न दरों पर प्रदान किया जा रहा हैः-

क. सं0	लाभार्थी	मंग पति लाभार्थी प्रति दिन प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरिज (किलो केलौरी)	पोषाहार की दर (रू0 में)
1.	बच्चे	12-15	500	6.00
2.	गर्भवती/धात्री महिलाऐं	18-20	600	7.00
3.	अति कुपोषित बच्चे	20-25	800	9.00
4.	बी.पी.एल. किशोरियां	18-20	600	5.00

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों को निम्न्र प्रकार का पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा हैः-

क. सं0	लाभार्थी	पूरक पोषाहार का प्रकार		
		टेक होम राशन	सुबह का नाशता	पका हुआ भोजन
1.	बच्चे (6 मास से 3 वर्ष)	न्यूट्रीमिक्स,चावल पुलाव, मीठा दलिया	.....	....
2.	बच्चे (3वर्ष से 6 वर्ष)	....	न्यूट्रीमिक्स	चावल पुलाव, मीठा दलिया,नमकीन दलिया,मीठा चावल
3.	गर्भवती/धात्री महिलाऐं	......	....	चावल

				पुलाव, मीठा दलिया,नमकीन दलिया,मीठा चावल
4.	बी.पी.एल. किशोरियां	.....	.....	चवल पुलाव तथा मीठा दलिया

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों को निम्न्न अतिरिक्त पूरक पोषाहार प्रदान भी किया जा रहा हैः–

क. सं0	लाभार्थी	अतिरिक्त पूरक पोषाहार
1.	बच्चे (6 मास से 3 वर्ष)	नियुट्रीमिक्स , पोटेटो हल्वा
2.	बच्चे (3वर्ष से 6 वर्ष)	वेजीटेबल सूप, स्वीट पोटेटो हल्वा
3.	गर्भवती महिलाऐं	वेजीटेबल सूप, स्वीट पोटेटो हल्वा

<u>स्थानीय समुदाय की भागीदारी</u>

<u>(अ)आंगनबाड़ी स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समितियां</u>

आंगनबाड़ी स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य महिला मण्डल के सदस्य, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, स्थानीय अध्यापक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों के माता–पिता इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

पोषाहार की गुणवता बढ़ाने के लिये ब्यंजनों में प्राकृतिक स्त्रोतों के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रैन्ट की मात्रा बढ़ाने हेतू हरी पत्तेदार/जड़ों वाली सब्जियों, दालों को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थो को स्थानीय स्तर पर आंगनवाड़ी स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समितियों के माध्यम से क्रय करने हेतू सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को राशि निर्गत की जाती है। ब्यंजनों का सवाद बढ़ाने हेतु मसाला जैसे कि जीरा, सूखी मेथी एवं हल्दी भी स्थानीय स्तर पर क्रय करके ब्यंजनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समितियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन तथा पोषाहार का वितरण सुचारू रुप से हो।

<u>(ब)दुग्ध उत्पादक संघ</u>

न्यूट्रीमिक्स व स्किमड मिल्क पाऊडर की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादक संध शिमला से प्राप्त की जाती है जो कि दूध स्थानीय उत्पादकों से प्राप्त करता है।

(स)पंचायती राज संस्थाऐं

ग्राम पंचायत प्रधानों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण, पूरक पोषाहार के वितरण, शेष पोषाहार की मात्रा व स्टाक तथा पोषाहार की गुणवता इत्यादि की जांच हेतु शक्तियां प्रदान की गई है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किये जा रहे पोषाहार की दरों एवं मानकों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–